हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील नम्बर– 05/2020 आमीन खां बनाम मुराद वगै0 अपील अ0 धा0 75	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2023	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थी के निवेदन पर दिनांक 12.10.2023 को बहस पत्रावली पर सुना गया। वकील कथन है कि ग्राम भूरासर तहसील झुंझुनूं के हाल भूमि खसरा नं. 506/540 रकबा 0.40 है0, खसरा नं. 507 रकबा 0.45 है0, खसरा नं 512 रकबा 1.81 है0 कुल रकबा 2.66 है0 अवस्थित है उक्त आराजी में अपीलांट 2 बिघा 12 विश्वा दर हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार रहा है, जिसका मैट्रिक प्रणाली में रकबा 0.6578 है0 बनता है। अपने हिस्से की भूमि में से अपीलांट ने रेस्पोडेंट संख्या 1 को 0.3250 है0 भूमि विक्रय कर दी थी तथा शेष भूमि का खातेदार अपीलांट रहा था। उक्त बेचान नामा के आधार पर नामान्तकरण संख्या 31 दिनांक 10.07.2007 को ग्राम पंचायत नयासर द्वारा तस्दीक किया गया। यह नामान्तकरण विक्रय पत्र के मुताबिक नहीं किया जाकर अपीलांट की समस्त भूमि का तस्दीक कर दिया गया जो काबिले खारिज है। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा बहस विद्वान अधिवक्ता पर बगौर मनन किया। तहसील कार्यालय से मूल नामान्तकरण मंगवाया जाकर उसका ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उपरोक्त विवेचन से जाहिर है कि (i) नामान्तकरण संख्या 31 दिनांक 10.07.2007 मुताबिक विक्रय पत्र तस्दीक नहीं किया गया है (ii) ग्राम पंचायत ने नामान्तकरण तस्दीक करते समय विक्रय पत्र का अवलोकन सही नहीं किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया जाता है कि नामान्तकरण संख्या 31 निर्णय दिनांक 10.07.2007 मौजा ग्राम भूरासर जो ग्राम पंचायत नयासर द्वारा तस्दीक किया गया है को मुताबिक विक्रय पत्र दिनांकित 28.06.2007 के अनुसार संशोधित कर व राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करे। मिसल मातहत अदालत के फैसले की प्रति सहित लौटाई जाये। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखित दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं (राज.)	